कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक / स्था / अराज / 2021 /

जबलपुर, दिनांक / /2021

//आदेश//

परिचारिका संवर्ग एवं सह चिकित्सकीय संवर्ग के जिन नियुक्ति आदेशों के शर्त के बिन्दु क्रमांक 03 में उल्लेखित शर्त "परिवीक्षा अवधि के दौरान त्याग-पत्र हेतु 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर राशि नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चुकानी होगी। यह राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।" उक्त शर्त को नियुक्ति आदेश से विलोपित किया जाता है। उक्त शर्त के स्थान पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 75/सी.आर.558(3) 73 दिनांक 24 जनवरी 1973 में उल्लेखित निम्नलिखित शर्त स्थापित की जाती है।

शर्त क्रमांक-3- आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या एक माह का मूलवेतन तथा उसमें देय भत्ते का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। इसके बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

//

अधिष्ठाता
नेताजी सुभाषचंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

पृ.क्रमांक 9434 /स्था/अराज/2021

जबलपुर, दिनांक 27/9/2021

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संचालक, सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
2. संचालक, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
4. अधीक्षक, कैंसर चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
5. समस्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
6. को-ऑरडीनेटर, पैरामेडिकल सेल, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
7. समस्त नोडल/प्रभारी अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर।
8. प्रशासकीय अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
9. स्थानीय लेखा शाखा, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
10. बेबसाईट पर अपलोड करने एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

अधिष्ठाता
नेताजी सुभाषचंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर